HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4166/2025

1. Jalaram S/o Mangilal, Aged About 33 Years, R/o Kangwo Ki Dhani, Ramdavas Khurd, Police Station Dangiyavas, District Jhodhpur. (Raj.)
2. Devaram S/o Gokalram, Aged About 37 Years, R/o Ramdavas Khurd, Police Station Dangiyavas, District Jhodhpur. (Raj.) (Petitioners Are In District Jail Ajmer.)

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Anushree Sharma Mr. Ravindra Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना केकड़ी सदर जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2023 अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण पर यह आक्षेप है कि उन्होंने अपने आधिपत्य में 209 किलोग्राम अफीम डोडा रखा है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 19.04.2023 अर्थात् लगभग 2 वर्ष 10 माह से अभिरक्षा में हैं तथा विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण की सूची के 37 गवाहों में से अभी मात्र 11 गवाह ही परीक्षित हुए हैं, विचारण में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि बरामदगी के दोनों स्वतंत्र गवाह अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही रहे हैं ओर ऐसी स्थिति

में उनसे बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए हैंः–

1. शम्भूलाल गुर्जर उर्फ रोहित–बनाम–राजस्थान राज्य
   विशेष अनुमति अपील याचिका संख्या 16671/2024
2. ओमप्रकाश रेप्सवाल–बनाम–छत्तीसगढ़ राज्य
   आपराधिक अपील संख्या 1831/2025

उपर्युक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के आधिपत्य से 209 किलोग्राम अफीम डोडा जो कि वाणिज्यिक मात्रा में है, बरामद हुआ है। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण विचारण के दौरान परीक्षित हो रहे हैं। उनका तर्क है कि धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के मद्देनजर अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे, अतः उनका प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा 209 किलो से अधिक है जो वाणिज्यिक मात्रा में है। प्रकरण में विचारण चल रहा है, जिसमें अभियोजन की साक्ष्य चल रही है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क कि बरामदगी के स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए हैं, तो जमानत प्रार्थना–पत्र के स्तर पर साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किया जाना न तो उचित है, न ही वांछनीय है। अन्य साक्षीगण ने भी सकारात्मक साक्ष्य दी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अभियोग हैं, अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /05